



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
हरिद्वार  
पिन कोड— 249404

संख्या :: 75/12/DR/E-2/CJ-JD/2021-22

दिनांक :: 21 जून, 2022

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) मुख्य परीक्षा—2021  
**Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (J.D.) Main Examination- 2021**  
**अनर्ह—सूची**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा—2021 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या—A-5/E-2/CJ-JD/2021, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के सापेक्ष दिनांक 13 मार्च, 2022 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम, विज्ञप्ति संख्या— 03/24/गोपन-2/CJ-JD (pre)-2021/2021-22, दिनांक 19 अप्रैल, 2022 द्वारा घोषित किया गया है।

उक्त परीक्षा परिणाम में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किए गये अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति संख्या— 05/12/DR/E-2/CJ-JD/2021-22, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के अनुक्रम में आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि (17 मई, 2022) तक ऑनलाइन आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग कार्यालय में जमा करने का अवसर प्रदान किया गया था। उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र (संलग्नकों सहित) जमा करने वाले अभ्यर्थियों में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को मा0 आयोग द्वारा उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारण से अनर्ह घोषित किया गया है :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण
1	800439	SHIVANGEE GUPTA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में Unreserved/UF का दावा किया गया है एवं उक्त के सापेक्ष दिनांक 18.02.2022 को जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न किया है, जो कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, 20.01.2022 के पश्चात निर्गत है। अतः विज्ञप्ति सं०— 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या—02 की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 तक जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।
2	800747	NEETU PALARIYA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में EWS/UF का दावा किया गया है एवं उक्त के सापेक्ष दिनांक 23.04.2022 को जारी EWS प्रमाण-पत्र संलग्न किया है, जो कि वित्तीय वर्ष— 2022-23 हेतु मान्य है। अतः विज्ञप्ति सं०— 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या—02 की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, दिनांक 20.01.2022 तक का वैध EWS प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।

3	816166	SHABNAM PARVEEN	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में OBC/UF का दावा किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा विधि स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।</p> <p>अतः विज्ञप्ति सं०- 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 तक का वैध OBC प्रमाण-पत्र एवं विधि स्नातक उपाधि उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।</p>
4	818012	ABIDA ANJUM	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में OBC/UF का दावा किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष दिनांक 22.01.2022 को जारी OBC प्रमाण-पत्र एवं दिनांक 09.02.2022 को जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि, 20.01.2022 के पश्चात् निर्गत है।</p> <p>अतः विज्ञप्ति सं०- 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-02 की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 तक का वैध OBC प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।</p>
5	823758	KM MEENAKSHI KASANA	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में OBC/UF का दावा किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष दिनांक 08.01.2019 को जारी OBC प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 08.01.2022 तक है जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 से पूर्व समाप्त हो चुकी है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16.04.2022 को जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 के पश्चात् निर्गत है।</p> <p>अतः विज्ञप्ति सं०- 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-02 की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 तक का वैध OBC प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।</p>
6	825775	ADITI SINGHAL	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में EWS/UF का दावा किया गया है, किन्तु उक्त के सापेक्ष दिनांक 09.02.2021 को जारी EWS प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो कि वर्ष 2020-21 हेतु मान्य है।</p> <p>अतः विज्ञप्ति सं०- 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु संख्या-02 की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2022 तक का वैध EWS प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।</p>

7	831364	APOORVA PRIYADARSHINI	अभ्यर्थी द्वारा विधि स्नातक के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की मार्कशीट उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः विज्ञप्ति सं०- 05, दिनांक 26.04.2022 एवं विज्ञापन की शर्तानुसार विधि स्नातक के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की मार्कशीट उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह।
---	--------	--------------------------	---

उक्तानुसार अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों को अपना प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित **सचिव, उत्तराखण्ड सेवा आयोग, हरिद्वार (पिन कोड-249404)** के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से अंतिम तिथि **12 जुलाई, 2022 (मंगलवार) (सायं 06:00 बजे तक)** जमा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक अनुभाग की ई-मेल आईडी **soexamtwo2@gmail.com** पर भी प्रेषित कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**-SD-**  
**(कर्मन्द् सिंह)**  
**सचिव।**